वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

सं.: 5-1(318)/2016-पीडी दिनांक : 23.02.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2001 के अंतर्गत मूल्यांकन पदोन्नति की न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि के लिए पूर्व सेवा की गणना के संबंध में.

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2001 के अंतर्गत मूल्यांकन पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि हेतु पूर्व सेवा की गणना के मुद्दे पर, ऐसे वैज्ञानिकों के मामले में, जो सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यरत थे और तकनीकी इस्तीफे के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से उसी ग्रेड में किसी अन्य सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यभार संभाला, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीएसआईआर के विधि सलाहकार तथा डीओपीटी के परामर्श से सीएसआरएपी नियम, 2001 के प्रासंगिक नियमों के आलोक में जांच की गई है और यह पाया गया है कि सीएसआरएपी नियम, 2001 के अंतर्गत पूर्व सेवा की गणना के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और हाल ही में अधिसूचित सीएसआरएपी नियम, 2025 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में, वैज्ञानिक द्वारा पूर्ववर्ती सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान में प्रदत्त पूर्व सेवा को सीएसआरएपी नियम, 2001 के अंतर्गत मूल्यांकन पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजीडेन्सीअवधि में नहीं गिना जा सकता है।

23.02.26

(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव (नीति)

सेवा में:

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर वेबसाइट
2. कार्यालय प्रति